

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4 ]

दिल्ली, जनवरी 22—जनवरी 28, 2010, बृहस्पतिवार/माघ 2—माघ 8, 1931

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 291 ]

No. 4 ]

DELHI, JANUARY 22—JANUARY 28, 2010, THURSDAY/MAGHA 2—MAGHA 8, 1931

[N.C.T.D. Nos. 291]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (1004)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9789.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत संरचना वित्त कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1000,00,00,000 मूल्य के अन्सेक्योरड रिडीमेबल नन-कनवरटीबल टैक्सिबल बण्डस जो कि (प्रमोजरी नोट) के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 01 से 10000 (8.55% आईआईएफसीएल 2024 सीरीज-IX) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 78,24,000 (रुपये अटठहतर लाख चौबीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

318 DG/2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 18th January, 2010

No. F. 10(1004)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9789.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 78,24,000 (Rs. Seventy Eight Lac Twenty Four Thousand) only on the aggregate value of Rs. 1000,00,00,000 for Unsecured redeemable Non-Convertible taxable (8.55% IIFCL 2024 Series-IX) bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 01 to 10000 to be issued by the said company.

(25)

सं. फा. 10 (974)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9790.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 200,00,00,000 मूल्य के अन्सेक्योरड नन-कनवरटेबल सर्बोडिनेटेड अपर टियर I बोण्ड जो कि (प्रमोजरी नोट) के रूप में है, जिनकी पृथक संख्या 1 से 2000 (सीरीज-VI) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 11,60,000 (रुपये ग्यारह लाख साठ हजार) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(974)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9790.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,60,000 (Rs. Eleven Lac Sixty Thousand) only on the aggregate value of Rs. 200,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated upper tier I perpetual bonds issue Series VI in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 2000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 19 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (953)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9812.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 130,00,00,001 से 180,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 50,00,000 (रुपये पचास लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 19th January, 2010

No. F. 10(953)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9812.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207,

Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 500,00,00,000 for equity shares certificate with Distinctive Nos. 130,00,00,001 to 180,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (884)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9813.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गूलीवर ऑटो टू प्रा. लि., सूट नं. जी-8, ग्राउंड फ्लोर, ए-30, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-48 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(884)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9813.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gulliver Auto True Pvt. Ltd., Suit No. G8, Ground Floor, A-30, Kailash Colony, New Delhi-48 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of share of Rs. 5,00,00,000 for equity shares certificate with Distinctive Nos. 1 to 50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1021)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9818.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्डिटेक्स ट्रेड रिटेल इंडिया प्रा.लि., 103, अशोका इस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 64,80,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 6,48,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6,48,000 (रुपये छः लाख अड़तालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1021)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9818.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inditex

Trent Retail India Private Limited, 103, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,48,000 (Rs. Six Lac Forty eight Thousands) only on the aggregate value of shares of Rs. 64,80,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 1 to 6,48,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (1022)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9822.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केनटोन बिल्डवेल प्रा. लि., 11, बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0663529 से 0723528 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,00,000 (रुपये तीन लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(1022)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9822.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Canton Buildwell Private Limited, 11, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,00,000 (Rs. Three Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,00,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 0663529 to 0723528 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (911)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9824.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्सीटूफोरम पाईपलाइन, रिहेब्लिटीशन प्रा. लि., चौथी मंजिल, टावर-2, एनबीसीसी प्लाजा, सेक्टर-5, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,21,00,470 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,803 से 1,02,29,849 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,02,101 (रुपये एक लाख दो हजार एक सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(911)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9824.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Insituform Pipeline Rehabilitation Private Limited, 4th Floor, Tower-II, NBCC Plaza, Sector-V, Pushp Vihar, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,02,101 (Rs. One Lac Two Thousand One Hundred One) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,21,00,470 for equity share certificates with distinctive Nos. 19,803 to 1,02,29,849 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (984)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9836.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीएनसी कम्युनिकेशन एण्ड नेटवर्क कन्सल्टिंग इंडिया प्रा.लि., इन्डोजर्मन चेम्बर ऑफ कोमर्श, जर्मन हाउस, 2, नयाय मार्ग, नई दिल्ली-110021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 90,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 9000 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9000 (रुपये नौ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(984)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9836.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CNC Communications & Network Consulting India Private Limited, Indo-German Chamber of Commerce, German House, 2, Nyaya Marg, New Delhi-110021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 90,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 001 to 9000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (912)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9837.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सप्रेस वेल इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि., 807, नई दिल्ली हाउस, बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,86,690 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,61,446 से 7,60,114 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1987 (रुपये एक हजार नौ सौ सत्तासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(912)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9837.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Express Well International India Private Limited, 807, New Delhi House, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1987 (Rs. One Thousand Nine Hundred Eighty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,86,690 for equity share certificates with Distinctive Nos. 5,61,446 to 7,60,114 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (777)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9838.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अवीवा लाईफ इन्श्योरेंस कम्पनी इंडिया लि., दूसरी मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टोलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 75,00,000 (रुपये पित्तहत्तर लाख) जो कि उनके द्वारा नवम्बर 2009 से जनवरी 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

**No. F. 10(777)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9838.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aviva Life Insurance Company India Limited, 2nd Floor, Prakashdeep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 75,00,000 (Rs. Seventy Five Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period November, 2009 to January, 2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

**सं. फा. 10 (1025)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9839.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ.

148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लिलीपुट किडसवियर लि., डी-95, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेस-एक, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,74,56,000 मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 78,72,801 से 2,36,18,400 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,57,456 (रुपये एक लाख सत्तावन हजार चार सौ छप्पन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(1025)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9839.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lilliput Kidswear Ltd., D-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,57,456 (Rs. One Lac Fifty Seven Thousand Four Hundred fifty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,74,56,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 78,72,801 to 2,36,18,400 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (1024)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9840.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फेब एडवाइजर्स एण्ड मेन्टर्स प्रा.लि., सी-23, पामपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,000 मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000000001 से 000500000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5000 (रुपये पांच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(1024)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9840.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fab Advisors & Mentors Private Limited, C-23, Pamposh Enclave, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5000 (Rs. Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 000000001 to 000500000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (1026)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9853.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेयर मिनरलस (इंडिया) प्रा.लि., बी-61, फ्लैटिड फैक्ट्री कम्प्लैक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली-110055 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,74,92,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,82,001 से 3,64,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 37,492 (सैंतीस हजार चार सौ बयानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th January, 2010

**No. F. 10(1026)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9853.—** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Weir Minerals (India) Private Limited, B-61, Flatted Factory Complex, Jhandewalan, New Delhi-110055 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 37,492 (Rs. Thirty Seven Thousand Four Hundred Ninety Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,74,92,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1,82,001 to 3,64,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (995)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9854.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेयर समग रियेल्टी प्रा.लि. बी-67, सरिता विहार, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,80,49,430 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,06,82,326 से 4,94,87,268 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 88,050 (अट्ठासी हजार पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(995)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9854.—** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sare Saamag Realty Private Limited, B-67, Sarita Vihar, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of

318 DG/10-2

Rs. 88,050 (Rs. Eighty Eight Thousand Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,80,49,430 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 4,06,82,326 to 4,94,87,268 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1023)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9855.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेजा फाइनेंस प्रा.लि., 3/17, दूसरी मंजिल, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,77,60,198 मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,001 से 39,60,396 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 37,761 (रुपये सैंतीस हजार सात सौ इकसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(1023)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9855.—** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Saija Finance Private Limited, 3/17, 2nd Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 37,761 (Rs. Thirty Seven Thousand Seven Hundred Sixty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,77,60,198 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 39,60,396 to be issued by the said company.

दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (967)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9859.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वैसले क्लोवर कम्प्यूनिवेशन सलुशन्स प्रा.लि., 18, कोटला लेन (एलजीएफ) रोज एवेन्यू, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 94,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 473061 से 1418060 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9450 (रुपये नौ हजार चार सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 21st January, 2010

**No. F. 10(967)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9859.—** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E)

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wesley Clover Communication Solutions Pvt. Ltd., 18, Kotla Lane (LGF), Rouse Avenue, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9450 (Rs. Nine Thousand Four Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 94,50,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 473061 to 1418060 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (992)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9860.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यामाजेन मशीनरी एण्ड टूल्स इंडिया प्रा.लि., फ्लैट-8ए, आठवीं मंजिल, हंसालया, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49,901 से 49,999 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 99 (रुपये निन्यानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(992)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9860.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Yamazen Machinery & Tools India Private Limited, Flat-8A, 8th Floor, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 99 (Rs. Ninety Nine) only on the aggregate value of share of Rs. 99,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 49,901 to 49,999 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (933)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9861.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यामाजिन मशीनरी एण्ड टूल्स इंडिया प्रा.लि., फ्लैट-8ए, आठवीं मंजिल, हंसालया, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,901 से 49,900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 30,000 (रुपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(933)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9861.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Yamazen Machinery & Tools India Private Limited, Flat-8A, 8th Floor, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,000 (Rs. Thirty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 19,901 to 49,900 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 (1007)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9862.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाइड्रो तस्मानिया कन्सल्टिंग इंडिया प्रा.लि., 12वीं मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,73,29,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60,91,471 से 78,24,370 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 17,329 (रुपये सतरह हजार तीन सौ उन्नतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

**No. F. 10(1007)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9862.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hydro Tasmania Consulting India Private Limited, 12th floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,329 (Rs. Seventeen Thousand three Hundred Twenty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,73,29,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 60,91,471 to 78,24,370 to be issued by the said company.

By Order  
Of Chief Controlling Revenue Authority,  
Government of National Capital Territory of Delhi,  
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)